



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : - अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रकरण संख्या 41/2025

दायर दिनांक 24.07.2025

अनवान

01. रमेशचन्द्र पुत्र शंकरलाल जाति रेगर उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....वादी

बनाम

01. राधा देवी पत्नि पन्नालाल पुत्री प्रभुलाल जाति रेगर उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

02. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित :- 01. श्री रामफूल धाकड़ - विद्वान अधिवक्ता वादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

-: निर्णय :-

दिनांक :- 30 / 10 / 2025

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई दिनांक 11.08.2025 को प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी हुयी कि मौजा ग्राम मानपुरा पटवार हल्का थड़ीदा तहसील बिजौलिया स्थित खाता संख्या 172 पर अंकित आराजी नम्बर 427 रकबा 0.8660 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 428 रकबा 0.3399 हैक्टेयर भूमि कुल किता 02 रकबा 1.2059 हैक्टेयर भूमि में वादी के 2/3 हिस्से की भूमि का मौके पर जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन किए जाने के आदेश दिये गये। प्राथमिक डिक्री की पालना में भूमि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार बिजौलिया से लिया गया। तहसीलदार बिजौलियां ने अपने पत्रांक/राजस्व/2025/1505 दिनांक 12.09.2025 से प्राथमिक डिक्री की पालना, मौका रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अधिवक्ता वादी को स्वीकार है।



लगातार पेज संख्या 02 पर

उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

पेज संख्या 02

विभाजन प्रस्ताव जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बारण्डस के आधार पर वादीगण की उपस्थिति में तैयार करना भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियां खुर्द ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है।

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)
01	रमेशचन्द्र पुत्र शंकरलाल रेगर सा० जावदा खातेदार राहिन. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बिजौलियां	मानपुरा	427 / 2 428 / 2	0.5888 0.2151
	योग		खसरा 02	0.8039
02	राधादेवी पत्नी पन्नालाल पुत्री प्रभूलाल रेगर सा. जावदा खातेदार	मानपुरा	427 / 1 428 / 1	0.2772 0.1248
	योग		खसरा 02	0.4020

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। वकील वादी निर्धारित नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प प्रस्तुत करें तब डिक्री मूर्तिब की जावें। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना-अपना वहन करे।

3  
(अजीत सिंह राठौड़)  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियां

निर्णय आज दिनांक 30 / 10 / 2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



8  
(अजीत सिंह राठौड़)  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियां



राजस्थान सरकार

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : - अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रकरण संख्या 41/2025

दायर दिनांक 24.07.2025

अनवान

1. रमेशचन्द्र पुत्र शंकरलाल जाति रेगर उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

..... डिक्रीदार

बनाम

1. राधा देवी पत्नि पन्नालाल पुत्री प्रभुलाल जाति रेगर उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....मदयूनान

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 रा0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक : 30 / 10 / 2025

डिक्री दिनांक : 30 / 10 / 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय बिजौलियां बहाजरी विद्वान अधिवक्ता वादी श्री रामफूल धाकड़ एकपक्षीय को हुकम दिया है व डिक्री दी जाती है कि :-

वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर डिक्री इस आशय कि जारी की जाती है कि :- निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम ग्राम मानपुरा पटवार हल्का थड़ौदा के राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।



लगातार पेज संख्या 02 पर

3

उप खण्ड अधिकारी  
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

क्र.सं	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
01	रमेशचन्द पुत्र शंकरलाल रेगर सा0 जावदा खातेदार राहिन. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बिजौलियां	मानपुरा	427/2	0.5888
			428/2	0.2151
योग				
02	राधादेवी पत्नी पन्नालाल पुत्री प्रभूलाल रेगर सा. जावदा खातेदार	मानपुरा	खसरा 02	0.8039
			427/1	0.2772
योग				
			खसरा 02	0.4020

उक्तानुसार डिक्री मूर्तिब हो। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना-अपना वहन करे।

नीज .....Nil.....मुबलिंग ..... Nil .....बाबत् .....  
Nil .....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर ..... Nil .....फीसदी सालाना आज की  
तारीख से तारीख वसूल याबी तक ..... Nil .....का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30. माह 10 वर्ष 2025 को जारी  
किया गया।

नोट:- प्रकरण में वकील वादीगण द्वारा स्टाम्प 100 रूपयें का प्रस्तुत करने से डिक्री आज दिनांक  
30/10/2025 को मुर्तिब की गई।

3  
(अजीत सिंह राठौड़)  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियां

मुद	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजी दया	-		स्टाम्प अरजी दया	-	
स्टाम्प वकीलात नामा	-		स्टाम्प वकीलात नामा	-	
स्टाम्प वजह सबूत	-		स्टाम्प वजह सबूत	-	
मेहनताना वकील ( )	-		मेहनताना वकील ( )	-	
खर्चा गवाह	-		खर्चा गवाह	-	
फीस कमीशनर	-		फीस कमीशनर	-	
बाबत् इजराय हुकमनामा	-		बाबत् इजराय हुकमनामा	-	
मुनफरिक	-		मुनफरिक	-	
मीजान			मीजान		



3  
(अजीत सिंह राठौड़)  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियां